न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 44 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 पोसीबाई पत्नी चौपाजी जाति– कलबी, आयु 65 वर्ष नि. सिलोईया तहसील व जिला सिरोही		1– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

न्यायालय सहायक कलक्टर सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 26–11–2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 23.08.2022 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सिलोईया पटवार हल्का सरतरा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थीया के नाम की स्वतंत्र खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मय बोरवेल आया हुआ है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खाता संख्या नया 111 खाता संख्या पुराना 105 खसरा संख्या 885 रकबा 2.3700 हैक्टेयर बारानी–2 कुल किता 01 कुल क्षेत्रफल 2.3700 हैक्टेयर है। उपरोक्त कृषि आराजी की प्रार्थीया एक मात्र स्वतंत्र खातेदार कृषक है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 885 की वर्णित आराजी के उत्तर–पूर्वी दिशा के मध्य में खसरा संख्या 887 की वर्णित आराजी आई हुई हैं जो अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है एवं उक्त आराजी से लगता उत्तर–पूर्वी दिशा के मध्य सार्वजनिक आम रास्ता खसरा संख्या 893 किस्म गै.मु. सडक के दर्ज है। प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीया वर्णित आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी, ट्रेक्टर, बेलगाडी इत्यादि लाने ले जाने के लिए पिछले कई वर्षों से खसरा संख्या 893 दर्ज गै.मु. सड़क से लगती खसरा संख्या 887 की वर्णित भूमि जो राजस्थान सरकार के नाम इन्द्राज है उस में से उत्तरी–पूर्वी दिशा प्रस्तावित A to B रास्ते से प्रार्थीया अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भमि के लिए कई वर्षो से उक्त भाग को रास्ते के

रूप में निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड A to B से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावें। उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नहीं है। प्रार्थीया द्वारा कई वर्षों से रास्ते का उपयोग किया जा रहा है उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज व तरमीम नहीं होने से प्रार्थीया को खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु व काश्त करने में अतिक्रमणकारियों से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीया कई बार अपनी आराजी तक नहीं पहुँच पाती है जिससे उनकी फसले जल जाती है और पशुओं को भी कई बार पानी चारे के अभाव में राते गुजारनी पड़ती हैं जिससे प्रार्थीया खसरा संख्या 885 की वर्णित आराजी में आने जाने व ट्रेक्टर, मवेशी तथा बैलगाड़ी हेतु 20 फिट चौड़ाई में राजस्व नक्शा में लाल स्याही डोटेड (.....) A to B भाग तक लम्बाई में रास्ता चाहती है तथा प्रार्थीया को रास्ते की सख्त आवश्यकता है जिससे प्रस्तावित A To B राजस्व रेकर्ड नक्शा में डोटेड (...) लाल स्याही भाग को रास्ता घोषित कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज एवं तरमीम करवाना चाहती है। जिससे प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अनुरूप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थीया का नम्र निवेदन हैं कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सिलोईया, पटवार हल्का सरतरा, भू.अभि. नि. क्षैत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही में वर्णितानुसार खसरा संख्या 885 की वर्णित आराजी में आनें जाने हेतु ट्रेक्टर, मवेशी, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही डोटेड (...) A to B भाग को जो अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम खसरा संख्या 887 में दर्शाया गया हैं जो करीब 20 फीट चौड़ाई में एवं A to B प्रस्तावित लम्बाई में रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे में इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थीया के न्यायोचित हो उसे भी दिलाये जाने के आदेश करना फरमायें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे संलग्न प्रार्थी की खातेदारी राजस्व ग्राम सिलोईया पटवार हल्का सरतरा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही में खाता संख्या नया 111 खाता संख्या पुराना 105 खसरा संख्या 885 रकबा 2.3700 हैक्टेयर बारानी–2 कुल किता 01 कुल क्षेत्रफल 2.3700 हैक्टेयर की छाया प्रति, जमाबंदी संवत 2071–2074, प्रस्तावित नक्शा रास्ता, नक्शा प्रतिलिपि खसरा नक्शा एवं जमाबंदी , आधारकार्ड प्रतिलिपि नक्शा की प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02–04–24 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । अप्रार्थी पैरोकार

सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 29–10–2024 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया प्रार्थीया पोसीबाई पत्नि चौपाजी हि पूर्ण जाति कलबी. सा. देह खातेदार ग्राम सिलोईया के वर्तमान जमाबंदी के खाता से. 111 के खसरा सं. 885 रकबा 2.3700 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 दर्ज है। जमाबंदी की नकल संलग्न है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु राजस्व रेकर्ड / नक्शे में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु ग्राम सिलोईया के खसरा सं. 892 किस्म गै.मु.सडक से शुरू होकर राजकीय बिलानाम भूमि खसरा सं. 887 रकबा 5.9300 हैक्टेयर किसम गै.मु. पहाड में से रास्ते के रूप में मौके पर उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग अथवा न्यूनतम दूरी का मार्ग मौजूद नहीं है। प्रस्तावित भूमि वर्तमान में चालू मार्ग की जगह प्रस्तावित की गई है तथा यह प्रस्तावित भूमि जल भराव/जलप्रवह का क्षेत्र नहीं है व सार्वजनिक महत्व यथा मंदिर/मस्जिद / श्मशान / कब्रिस्तान की भूमि नहीं है। प्रस्तावित भूमि की राजस्व नक्शे अनुसार लम्बाई 96 मीटर है प्रार्थीया द्वारा चाहे अनुसार चौडाई 06 मीटर प्रस्तावित है। कुल रास्ता भूमि का क्षेत्रफल 96×06= 576 वर्गमीटर है। ग्राम सिलोईया की उक्त प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर असिंचित सडक से लगती भूमि=206071/– प्रति हैक्टेयर प्रस्तावित भूमि की मालियत 596 मीटर2=0.0596 हैक्टेयर=12282/–रूपये नियमानुसार रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी गयी है। अंतः उक्त रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर उक्त समस्त दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील उभय पक्षकारान और पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अंतिम बहस दिनांक 19–11–2024 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व सलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व सलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का

गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी मे से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यांतिक आवश्यकता होने से एंव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नही होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे भी रास्ता मौके एंव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्धारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा संख्या 885 पर कृषि कार्य हेतु स्वंय व कृषि यंत्र मवेशी बैलगाडी के आवागमन के लिए राजस्व ग्राम सिलोईया पटवार हल्का सरतरा, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र पाडीव तहसील व जिला सिरोही के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खातेदार श्री सरकार की राजकीय बिलानाम भूमि खसरा स. 887 रकबा 5.9300 हैक्टेयर किसम गै.मु. पहाड में से रास्ते के लिये भूमि खसरा नंबर 885 में से 6 मीटर चौडाई का एवं 96 मीटर लम्बा मार्ग दिया जाना उचित है। अतः उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नंबर 885 में से 6 मीटर चौडाई एवं 96 मीटर लम्बा मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्री मान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्धारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(52) राज.–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रिती से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :– (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 कि उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी।

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशी प्रार्थी द्धारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नंबर 885 में से 6 मीटर चौडाई का एवं 96 मीटर लम्बा मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशी अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 26–11–2024 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26–11–2024 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम ब न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)